

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
151/2023

दायर दिनांक
15.05.2023
उनवान

निर्णय दिनांक
16.01.2024

1. श्री नारायण पुत्र मांगू गुर्जर निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरलाल पुत्र नारायण कलाल निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री श्यामलाल पुत्र कल्याणदास ब्राह्मण निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री नारायण पुत्र हरलाल गाडरी निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री भंवर पुत्र गोपी गाडरी निवासी पुरावतो का आकोला तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 244 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1238/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं।


हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Abhad

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 244 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1238/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


16/1/24
(आक्काद निवृत्ति सामनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा